मेहनतकशों का पैग़ाम
मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha365@gmail.com
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2020-22 /R.N.I. No. 2022007062

लाल झंडे से बहुत पुराना नाता है, 'ऑटो पिन' का 2
समस्याओं से जूझती बसंत विहार वैलफेयर एसोसिएशन 4
शरीर में आत्मा नहीं, तालमेल प्रणाली कार्य करती है 5
कागज़ी आजादी और गुलामी की जड़ें 6
सीवर में सफाई कर्मचारियों की मौत बर्बर जघन्य हत्या है 8

वर्ष 36 | अंक 48 | फरीदाबाद | 9-15 अक्टूबर 2022 | फोन-8851091460 | ₹ 5.00

बीके अस्पताल में फर्जी खरीदारी का खेल

लाखों-करोड़ों की लोकल परचेज फ़िर भी दवाइयां नदारद

फ़रीदाबाद (म.मो.) बीते काफ़ी समय से शहर का मीडिया व सक्रिय नागरिक सोशल मीडिया द्वारा चिल्ला-चिल्ला कर बता रहे हैं कि बीके अस्पताल में मामूली से मामूली सामान व दवायें आदि भी उपलब्ध नहीं होते। जख्म पर बांधने के लिये पट्टी, गौज व बीटाडीन आदि-आदि तक भी मरीज को खुद बाहर से खरीद कर लानी होती है। ग्लूकोज़ चढ़ाने के लिये कनौला सहित पूरा सिस्टम बाजार से लाना पड़ता है।

ये सब तमाशा तब हो रहा है जब एक अप्रैल 2022 से लेकर सितम्बर तक करीब 50 लाख रुपये की लोकल परचेज की जा चुकी है। खरीदा गया पूरा सामान स्टोर में आ भी गया और मरीज़ों पर खर्च भी कर दिया गया। उसके बाद स्टॉक निल कर दिया गया। भरोसेमंद सूत्रों की यदि माने तो न कोई सामान आया है और न ही कहीं खर्च हुआ है, केवल बिल आये हैं जिन्हें पास करके तुरन्त पेमेंट भी कर दी गई है। जिस राज्य में नगर निगम 200-200 करोड़ रुपये बिना काम किये ही डकारे जा सकते हों वहां 40-50 लाख की क्या औकात है? वह बात अलग है कि पूरी तफ्तीश किये जाने पर इस खरीदारी का घोटाला कई गुणा बड़ा भी हो सकता है।

लोकल परचेज के नाम पर बिलों का यह कारोबार गर्ग मेडिकल स्ओं से बल्लबगढ़ से चलता बताया गया है। जानकार बताते हैं कि इस स्टोर का मालिक प्रशान्त, फार्मेसिस्ट शैलेन्द्र हुड्डा का दोस्त है। यह सारी खरीदारी शैलेन्द्र व विपिन हुड्डा बीएमई (बायो मेडिकल इंजीनियर) के माध्यम से होती है। घोटाले की खबर पंचकूला स्थित मुख्यालय में बैठी तत्कालिन डीजी डॉ. वीना सिंह राठी तक पहुंची तो उन्होंने शैलेन्द्र को दो माह के लिये सिरसा ज़िले के गांव चौटाला की पीएचसी में भेज दिया है। इस खेल में शैलेन्द्र तो मात्र एक छोटा सा प्यादा है जबकि असली खिलाड़ी तो पीएमओ डॉ. सविता यादव है। उन्हें छेड़ने

सविता यादव
पीएमओ
बीके अस्पताल

की हिम्मत शायद इस लिये नहीं हो पा रही कि वे सीधे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा संरक्षित हैं।

जहां उक्त गर्ग मेडिकल स्टोर की पेमेंट हाथों-हाथ की जा रही हैं वहीं दसियों फर्म ऐसी भी हैं जिनकी पेमेंट बीते तीन-तीन-चार-चार साल से रूकी पड़ी हैं क्योंकि उन्होंने मुंहमांगा कमीशन देने से इनकार कर दिया। भरोसेमंद सूत्रों की यदि माने तो 10-20 परसेंट कमीशन तो लगभग हर फर्म राजी-खुशी दे ही देती है; परन्तु बात वहां बिगड़ती है जब कमीशन 40 परसेंट मांगा जाय अथवा माल खरीदे बिना केवल बिल ही लिये जायें।

इन फर्मों में से एक हैं रीमेडिका फार्मास्यूटिकल जिसने बिल नम्बर 0 93261217 के द्वारा 87 हजार 360 रुपये का माल करीब 5 साल पहले सप्लाइ किया था। सप्लाइ ऑडर का नम्बर था 5146311217। इस माल की बाकायदा स्टोर में एंट्री दर्ज है और पूरी तरह से इस्तेमाल भी हो चुका है। पेमेंट करने के लिये तमाम सम्बन्धित अधिकारियों के हस्ताक्षर हो चुके हैं। चेयरमैन होने के नाते केवल पीएमओ ने हस्ताक्षर नहीं किये क्योंकि मुंहमांगा कमीशन नहीं मिल रहा। इसी फर्म का दूसरा बिल नम्बर जीएसटी 00 8726518 जो 95 हजार 278 रुपये का है। इसका परचेज ऑडर नम्बर 2015 है जो 14 मई 2018 को जारी हुआ था।

एक अन्य फर्म केएचबायो मेडिकल का बिल नम्बर 141 है जो 17 सितम्बर 2018 को जारी हुआ था। उसकी रकम है 18 हजार 480 रुपये। इसी तरह की एक और फर्म सूचर इंडिया है जिसने 28,6,18 को 60 हजार 749 रुपये का बिल नम्बर 1090000582 दिया था। कमीशन न देने के चलते आज तक पेमेंट केवल इसलिये अटकी हुई है कि पीएमओ साहिबा अपने हस्ताक्षर नहीं कर रही हैं। ये चन्द मामले तो केवल उदाहरण स्वरूप हैं खोज-बीन करने पर इससे कहीं ज्यादा बड़ा घोटाला सामने आयेगा।

समझने वाली बात यह है कि अस्पतालों पर छापेमारी की नौटंकी करने वाले स्वास्थ्यमंत्री तो अम्बाला में रहते हैं, हो सकता है उन्हें वहां से ये सब घोटाले नजर न आते हों। परन्तु शहर में दनदनाते विधायक, सांसद एवं मंत्रियों को यह सब नजर क्यों नहीं आता?

'युवा आगाज़' के जसवंत पवार ने खून से लिखा मोदी को खत, भ्रष्टाचारी डीईओ मुनीष चौधरी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग

फ़रीदाबाद (म.मो.) वे सरकारें और वे नेता अब नहीं रहे जो प्रदर्शन, भूख हड़ताल एवं मरणव्रत के द्वारा प्रदर्शित जन आक्रोश का संज्ञान लेकर यथोचित कार्रवाई किया करते थे। अब तो नेतागण पूरी बेशर्मी के साथ डंके की चोट पर कहने से नहीं लजाते कि उन्हें जनता ने पांच साल के लिये चुन कर खुला खाने व नंगा नहाने का लाइसेंस दिया है, जिसे पाने के लिये उन्होंने चुनाव में करोड़ों-अरबों रुपये खर्च किये हैं। जब तक वे सत्ता में रहेंगे ऐसे ही लूट मचाते रहेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। ऐसे माहौल में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रहे युवा आगाज़ के तमाम साथियों को **'मज़दूर मोर्चा'** का सलाम।

जसवंत द्वारा खून से लिखा खत उनकी कुर्बानी के जज्बे को तो अवश्य ही दर्शाता है लेकिन जिन सैयादों को वे लिख रहे हैं उनसे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिये। न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देशभर में जनता के धन की जो खुली लूट हो रही है, वह सब राजनेताओं की मर्जी एवं संरक्षण में हो रही है। लूट चाहे शिक्षा विभाग में हो या नगर निगम, या स्वास्थ्य विभाग या कोई भी महकमा, सब का बही-खाता सदैव राजनेताओं के पास रहता है। लूट के इसी पैसे से सत्तारूढ़ पार्टी के खजाने में हजारों करोड़ का चंदा आता है। हर जगह पार्टी के पंचतारा दफ्तर बनते जा रहे हैं। यहां भी ऐसा ही एक दफ्दर पिछले दिनों बना है।

डीईओ मुनीष चौधरी पर लगे गबन के आरोप बड़े ही स्पष्ट हैं। सरकारी खजाने से, सरकारी काम के लिये एक चेक आता है जो सीधे ही मुनीष चौधरी के खाते में चला गया। मामला बेशक 15 साल पुराना है, लेकिन पुराना होने से गबन का मामला समाप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि वे तमाम अधिकारी भी दोषी बनते हैं जिन्होंने उस वक्त न तो स्वत: इस मामले का संज्ञान लिया और न ही शिकायत मिलने पर यथोचित कार्रवाई की। मामले को इधर-उधर भटका कर दबाने का प्रयास जरूर किया।

यह कहना बिल्कुल गलत साबित हो रहा है कि कानून सब के लिये बराबर है। वास्तव में कानून मकड़ी के उस जाले के समान बना दिया गया है जिसमें छोटे-मोटे मच्छर-मक्खी तो फस कर अपनी जान गंवा देते हैं और शक्तिशाली जानवर उसे तोड़ कर निकल जाता है। संदर्भवश हरियाणा फार्मास्यूटिकल के चेयरमैन धनेश अधलक्खा भ्रष्टाचार के तमाम सबूतों के साथ पकड़े जाने के बावजूद विजिलेंस द्वारा निदोर्ष करार दे दिया गया। स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीयमंत्री कृष्णपाल गूजर ने अधलक्खा को ईमानदारी का प्रमाणपत्र देते हुए कहा था कि बतौर पार्षद उसने कभी किसी से दो रुपये तक भी नहीं लिये।

एफआईआर दर्ज किये जाने के बारे में धनेश के वक्त तथा अब मुनीष चौधरी के वक्त भी ये मंत्री महोदय फर्माते हैं कि एफआईआर दर्ज होने से कोई दोषी थोड़े ही हो जाता है। एफआईआर तो कोई भी किसी के भी, बल्कि मेरे विरुद्ध भी कराई जा सकती है। यह सरासर झूठ है। जनता जानती है कि एफआईआर कैसे दर्ज होती है और उसके बाद पुलिस क्या-क्या खेल खेलती है। 14 अगस्त 2019 को डीसीपी विक्रम कपूर आत्महत्या केस में **'मज़दूर मोर्चा'** सम्पादक सतीश कुमार का नाम भी बिना किसी वजह के ही एफआईआर में डाल दिया गया था। उसके बाद उनके घर दो बार तलाशियां हुई, उनके न मिलने पर उनके छोटे बेटे को उठा कर ले गये। जब तीन सप्ताह बाद हाईकोर्ट

बाबा राम केवल व अन्य साथियों के साथ धरने पर बैठे जसवंत पंवार

से वे जमानत ले कर आये तो तफ्तीश में कुछ भी नहीं मिला। यही कृष्णपाल उस वक्त भी मंत्री थे।

युवा आगाज़ के संघर्षरत साथियों को समझने की जरूरत है कि भ्रष्टाचार करना बल्कि जनता के धन को लूटना केवल तभी जुर्म बनता है जब लाभार्थी सत्तारूढ गिरोह का सदस्य न हो। यानी कि सत्तारूढ गिरोह के न केवल सदस्यों बल्कि उनके लगुओं-भगुओं तथा चाटूकारों को भी पूरी छूट है। उन्हें लूटने के तमाम सुअवसर उपलब्ध कराये जाते हैं।

मुनीष चौधरी के समर्थन में मंत्री कृष्णपाल, तीन विधायक तथा खट्टर के कलेक्शन एजेंट अजय गौड़ का पूरा समर्थन है। ऐसे में धनेश अधलक्खा की तरह मुनीष के लिये भी कानून यदि मकड़ी का जाला साबित हो जाय तो कोई बड़ी बात नहीं।